(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 07 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 07

बउनवान

श्री लाल सिंह मारन एडवोकेट, निवासी बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 11.03.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को जरिये सम्मन क्रमांक 214–215 दिनांक 19.02.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 214–215 दिनांक 19.02.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा पत्र क्रमांक / सूचना का अधिकार / 2024 / 1032 दिनांक 11.03.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला [illegible] छीपाबडौद से अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में सूचना चाही गई [illegible] समय किये गये हस्ताक्षर पेज की प्रति प्रमाणित चुनाव पंचायती [illegible] पंचायत कुम्भाखेडी पंचायत समिति छीपाबडौद मतदाता मीनाक्षी पत्नी बद्रीलाल निवासी [illegible]बडौद भाग संख्या 1[illegible] क्रमांक 134 तथा EPIC NO.-WHQ1725746 द्वारा मत डालने के रजिस्टर पेज की फोटो[illegible] उपलब्ध करावें। इस पर लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा पत्र क्रमांक / सूचना का अधिकार / 2024 / 1032 दिनांक 11.03.2024 से अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 53 एवं 53(क) के तहत गोपनीय दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/1032 दिनांक 11.03.2024 से सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested